


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत      उपखण्ड अधिकारी      मुकाम      चित्तौड़गढ़ ( राज.)

..... सैनाबाद ..... बनाम ..... सवेराम .....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 275/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>03/06/24</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p><u>दुदाका खेडा</u> <del>.....</del> <u>हनुवा बाई</u> <u>डी० काशीराम जी</u> पत्नी <u>रतनलाल</u> भौग <u>श्री० भारीखेडा</u> <u>हनुवा</u> <u>पुत्री काशीराम</u> पत्नी <u>नारायणलाल</u> जी भौग <u>श्री० भारीखेडा</u> <u>एल. लुरजपोल</u>, <u>मोहनीबाई</u> पिता श्री <u>काशीराम</u> भौग <u>श्री० भारीखेडा</u> <u>दीराबाई</u> <u>पुत्री काशीराम</u> भौग <u>श्री० भारीखेडा</u></p> <p>निवासी- <u>भारीखेडा</u> ..... तहसील <u>वल्की</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... <u>भारीखेडा (प० ह० धमपुर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>५५, ५७, ५९, ५२</u></p> <p>.....</p> <p>कुल कीता <u>०५</u> ..... कुल रकबा <u>०.८५००</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>भारीखेडा (प० ह० धमपुर तह० वल्की)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>५५, ५७, ५९, ५२</u></p> <p>.....</p> <p>कुल कीता <u>०५</u> ..... रकबा <u>०.८५००</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>१०००=००</u> रुपये अक्षरे <u>०५ एल.आर. एक्ट.</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(वीनू देवली)</b>  <b>सहायक कमिश्नर एवं</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p>